



State Environment Impact Assessment Authority, M.P.
(Government of India, Ministry of Environment & Forests)

Environmental Planning Coordination Organization
Paryavaran Parisar, E-5. Arera Colony
Bhopal-4620 16
Visit us <http://www.mpseiaa.nic.in>
Tel:0755-2466970, 2466859
Fax : 0755-2462136

No: 184 /SEIAA/2018
Date: 4.5.18

कार्यालय आदेश

सिया द्वारा जारी कार्यालय आदेश क्र. 97-98/सिया /2018 दिनांक 24.04.2018 में निर्माण परियोजनाएं/क्षेत्र विकास परियोजनाएं हेतु निर्धारित प्रक्रिया शुल्क के तालिका क्र. 3 एवं 4 में अंकित निर्मित क्षेत्र अथवा विकास क्षेत्र में आंशिक संशोधन कर निम्नानुसार संशोधित माना जाए।

निर्माण परियोजनाएं/क्षेत्र विकास परियोजनाएं (Construction Project / Area Development Projects)

क्र.	अंकित निर्मित क्षेत्र अथवा विकास क्षेत्र	संशोधित निर्मित क्षेत्र अथवा विकास क्षेत्र	प्रक्रिया शुल्क (रूपये में)
3.	1,00,000 वर्गमीटर से ज्यादा और 1,50,000 वर्ग मीटर के भीतर निर्मित क्षेत्र अथवा 100 हैक्टेयर से ज्यादा और 100 हैक्टेयर के भीतर विकास क्षेत्र	1,00,000 वर्गमीटर से ज्यादा और 1,50,000 वर्ग मीटर के भीतर निर्मित क्षेत्र अथवा 100 हैक्टेयर से ज्यादा और 150 हैक्टेयर के भीतर विकास क्षेत्र	1,50,000/-
4.	1,50,000 वर्गमीटर से ज्यादा और 300,000 वर्ग मीटर के भीतर निर्मित क्षेत्र अथवा 100 हैक्टेयर से ज्यादा और 150 हैक्टेयर के भीतर विकास क्षेत्र	1,50,000 वर्गमीटर से ज्यादा निर्मित क्षेत्र अथवा 150 हैक्टेयर से ज्यादा विकास क्षेत्र	2,00,000/-

9/ सदस्य सचिव एवं
कार्यपालन संचालक, एफको

पृष्ठ क्रं 185 /सिया /2018
प्रतिलिपि:-

दिनांक 4.5.18

1. प्रभारी आधिकारी, राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल।
 2. लेखाधिकारी, एफको भोपाल।
 3. प्रशासनिक अधिकारी, एफको भोपाल।
 4. प्रशासनिक शाखा, सिया भोपाल।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

9/ सदस्य सचिव एवं
कार्यपालन संचालक, एफको